केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 252 शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

उधारी के तनाव में युवक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दुबौलिया थानाक्षेत्र में एक युवक की उधारी के सदमे में मौत की घटना सामने आई है। क्रेडिट कार्ड से 20.50 लाख रुपये निकालकर युवक ने व्यापारी को उधार दिया था। रुपये की वापसी नहीं होने और क्रेडिट कार्ड की कंपनी से बकाया जमा करने के दबाव से युवक तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि इसी कारण वह अवसाद में था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को लेकर परिजन व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। सूचना पाकर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। किसी तरह उन्हें समझा–बुझाकर शांत कराया।

प्रकरण में दुबौलिया कस्बा निवासी मोहम्मद जान ने दुबौलिया थाने पर तहरीर दी है। इसमें कस्बे के व्यापारी बलराम अग्रहरि पर आरोप लगाया है कि उसके 35 वर्षीय बेटे मोहम्मद मुशीर ने अपने क्रेडिट कार्ड से 20.50 लाख रुपये निकालकर एक व्यापारी को उधार दिया था। बार–बार रुपये वापस करने की बात करने पर उसने कहा कि जल्दी दे देंगे, लेकिन हीलाहवाली करते रहे। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनी से कर्ज जमा करने का दबाव बढ़ता गया। इसी डिप्रेशन में बेटे की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान आठ अप्रैल की रात उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से कस्बे में हड़कंप मच गया। परिजन शव लेकर आरोपी के मकान के सामने पहुंचे और उसे मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रोशित हो गए। इसकी सूचना मिलते ही दुबौलिया थाने की टीम मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर घटना की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।

रेलगाड़ी की चपेट में आने से साड़ की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक सांड़ की मौत हो गई। उसका शव मालगाड़ी में फंस गया। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी रोकी। रेल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर सांड़ का शव बाहर निकाला। इस बीच लगभग डेढ़ घंटे तक डाउन ट्रैक बाधित रहा। देर रात लगभग 11रू30 बजे लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रही डाउन मालगाड़ी रन–थ्रू बभनान रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी बीच एक सांड़ मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई और शव मालगाड़ी में फंस गया। हादसे की सूचना पर रेलकर्मियों व की–मैन ने कड़ी मशक्कत कर सांड़ का शव बाहर निकाला। इस बीच डेढ़ घंटे तक डाउन ट्रैक की मेन लाइन बाधित रही। शाम तक सांड़ का शव ट्रैक के किनारे पड़ा रहा। इस बाबत स्टेशन अधीक्षक बभनान भागीरथी प्रजापति ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं पीआरओ लखनऊ मंडल महेश ने कहा कि हादसे की जानकारी नहीं है, मैसेज कर दीजिए, दिखवा लिया जाएगा।

दो चौकी प्रभारी हटे, सिपाही निलम्बित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। परसरामपुर थाने में शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत सिपाही को एसपी अभिनन्दन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीओ हर्रैया ने जांच का रिपोर्ट एसपी को सौंप दी थी। साथ ही लापरवाही बरतने की शिकायत वाल्टरगंज व कोतवाली थाने की दो चौकी प्रभारियों को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि वाल्टरगंज थाने की चौकी गनेशपुर में तैनात इंचार्ज चन्द्रप्रकाश यादव व कोतवाली के रोडवेज चौकी के इंचार्ज उमेश वर्मा को पहले भी चेतावनी दी गयी थी। लेकिन आदत में सुधार में नहीं आने पर एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया।

मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा गिरफ्तार

नई दिल्ली (आभा)। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत लाया जा चुका है और अब उसे अदालत के कठघरे में लाकर मुंबई हमले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन के कंधों पर है। दयान कृष्णन न केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से कोर्ट में पेश होंगे, बल्कि इस केस में सरकारी पक्ष की पूरी कमान भी संभालेंगे। खास बात यह है कि वे इस मामले से 2010 से ही जुड़े हुए हैं और राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भारत का पक्ष अमेरिकी अदालत में भी रख चुके हैं।

अमेरिका में राणा की पैरवी ब्रिटिश बैरिस्टर पॉल गार्लिक कर रहे थे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने राणा के खिलाफ भारत की प्रत्यर्पण कार्यवाही में अमेरिकी अभियोजकों की निःशुल्क सहायता की थी। कृष्णन पहले दिल्ली गैंगरेप केस, कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार मामलों आदि जैसे संवेदनशील मामलों में भी पेश हो चुके हैं।

भाजपा नेताओं ने किया सांसद जगदम्बिका पाल का स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरुवार को तिरंगा चौराहे पर डुमरियागंज के सांसद जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। स्वागत के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक और वोट बैंक के कारणो से वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग गरीब और जरूरतमंद मुसलमानो के विरोधी है। कहा कि वक्फ कानून पूरी तरह से पारदर्शी है और लम्बे अध्ययन, व्यापक बहस के बाद इसे कानून का रूप मिला है। अब वक्फ की जमीनों का मनमाना दुरुपयोग नही होने पायेगा।

जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का स्वागत करने वालों में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, धीरेंद्र शुक्ला, जेपी तिवारी, हरीश सिंह, सरोज मिश्रा, राम आधार पाल, गोपेश पाल,सिद्धार्थ शंकर मिश्रा,सरदार कुलविन्दर सिंह,दिनेश पाल, अशोक पाल, के. के. श्रीवास्तव,रतन बाला श्रीवास्तव,नरेंद्र सिंह, प्रीति श्रीवास्तव, रमेश चौधरी, आयुष सिंह, सुरेन्द्र मोहन वर्मा, कायस्थ सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, डा० अजीत सिंह,सौरभ मालवीय,अनुपमा खरे,मनीष पाण्डेय, विजय पाण्डेय, उदय शंकर शुक्ला, दीपक गौड़, नितेश श्रीवास्तव, ओंकार सिंह, सचिन शुक्ला,दुर्गेश कुमार, लवकुश चौधरी, चन्द्रेश चौधरी पिंकू पाल के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

-वक्फ कानून का विरोध करने वाले गरीब मुसलमानों के हितैषी नही

दुबौलिया थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले के दुबौलिया थाने के डायल 112 की पीआरवी में तैनात एक सिपाही की संदिग्ध हालात में विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। शाम को विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना पर साथी पुलिस कर्मियों ने उसे ओपेक चिकित्सालय कैली पहुंचाया। यहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देर शाम सिपाही ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष दुबौलिया प्रदीप कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की।

मृतक सिपाही राजीव भारती मूलरूप से गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थानाक्षेत्र के रायपुर का रहने वाला था। वह 2014 बैच का आरक्षी था। करीब एक वर्ष से दुबौलिया थाने की डायल 112 की पीआरवी पर वह तैनात था। दुबौलिया कस्बे में खुशहालगंज स्थित एक मकान में किराए पर कमरा लेकर अकेले रहता था। अभी राजीव की शादी नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि शाम करीब पांच बजे उसे अपने साथी पुलिस कर्मी को फोन किया। फोन पर उसने रोते हुए बताया कि उसने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया। इस सूचना पर साथी पुलिसकर्मी उसके कमरे पर पहुंच गए। कमरे में कई बार उसे उल्टी हुई थी। उसकी हालत बिगड़ती देख उसे वाहन से पहले सीएचसी कप्तानगंज ले गए। यहां से ओपेक चिकित्सालय कैली रेफर कर दिया गया। इधर सूचना पाकर गोरखपुर से उसके परिजन भी बस्ती पहुंच गए। कैली से राजू को रेफर कराकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए। यहां इलाज के दौरान बुधवार की शाम उसने दम तोड़ दिया। सिपाही ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

बस्ती को मिला 24 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जिले को 24 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। विधायक हरैया विधानसभा क्षेत्र भाजपा अजय सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा संजय चौधरी व सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने सीएमओ कार्यालय परिसर से एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक हरैया विधानसभा क्षेत्र भाजपा अजय सिंह ने कहा कि जिले को 24 नए एंबुलेंस उपलब्ध कराया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव निगम ने बताया कि वर्तमान में जिले में 69 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है, जिनमें से 24 अब नई एम्बुलेंस से रिप्लेस किया जा रहा है।

आंधी, बारिश ओलावृष्टि से 5 की मौतः मुख्यमंत्री ने दिया जिलाधिकारियों को सर्वे का निर्देश

लखनऊ (आभा)। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को अचानक मौसम बिगड़ गया। कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के साथ आकाशी बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से फिरोजाबाद, सिद्धार्थ नगर और सीतापुर में पांच लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने और प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अपर जिलाधिकारी विशू राजा ने बताया कि बिजली गिरने की पहली घटना तहसील सदर क्षेत्र नारखी थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में घटी जिसमें खेत पर काम कर रही महिला ललिता देवी (30) की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। दूसरी घटना थाना जसरना क्षेत्र के गांव चनारी की है जहां खेत पर काम कर रहे किसान पदम वीर सिंह (32) की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई।

सिद्धार्थ नगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 40 वर्षीय श्रमिक घनश्याम की मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना गौरा मंगुआ गांव में उस समय हुई जब घनश्याम बारिश में काम के लिए जा रहा था। सीतापुर में बिजली गिरने और भारी बारिश से एक दीवार ढहने की दो अलग अलग घटनाओं में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि बिस्वां थाना अंतर्गत मोछ खुर्द में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे हरिश्चंद्र (25) की मृत्यु हो गई, जबकि सकरान थाना अंतर्गत रसूलपुर गांव में भारी बारिश के चलते एक दीवार ढहने से कुसुमा देवी (55) की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

इस बीच, भारत मौसम विभाग के लखनऊ कार्यालय ने बृहस्पतिवार के लिए बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जिलावार चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि कौशांबी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली गिर सकती है। इन जिलों से विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने, राहत प्रयासों की कड़ी निगरानी करने और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाए और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट तुरंत सौंपी जाए।

ईद मिलन समारोह भाईचारे सौहार्द का उत्सव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कबीर साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष मो. सामईन फारूकी के संयोजन में गुरुवार को प्रेस क्लब में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चन्द्रभूषण मिश्र ने कहा कि पर्व त्यौहार हमें नयी ऊर्जा देते हैं। ईद खुशियों का पर्व है जिसे सभी लोग मिल जुलकर मनाते हैं। इससे गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती मिलती है। विशिष्ट अतिथि देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि समय बदल गया है, लोग पर्व त्यौहारों का बटवारा करने लगे हैं। ऐसे में हमें परस्पर भाई चारे को मजबूत बनाने के लिये अपनी साझा संस्कृति को स्वर देना होगा। वरिष्ठ चिकित्सक डा. वी.के. वर्मा ने कहा, "हमारा देश गंगा–जमुनी तहजीब का प्रतीक है, यहां हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है." कहा कि यह आयोजन भाईचारे और सौहार्द का उत्सव है।

ईद मिलन समारोह को श्याम प्रकाश शर्मा, नीरज कुमार वर्मा, सन्तोष श्रीवास्तव आदि ने सम्बोधित किया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रामकृष्ण लाल जगमग ने अध्यक्षता करते हुये कहा कि हमें अपने भाई चारे को बनाये बचाये रखना होगा। संचालन डा. अफजल हुसेन अफजल ने किया।

कबीर साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष मो. सामईन फारूकी ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुये कहा कि ईद खुशियां बाटने का त्यौहार है।

इस मौके कवि सतीश आर्य, डा. विनोद कुमार उपाध्याय, दीपक सिंह प्रेमी, शाद अहमद शाद, रहमान अली 'रहमान' अहमद जावेद अंसारी, अजीत श्रीवास्तव, सागर गोरखपुरी, अर्चना श्रीवास्तव, फूलचन्द चौधरी आदि ने कविता और शायरी के माध्यम से ईद की खुशियों को साझा किया। कार्यक्रम में महेन्द्र सिंह, आशुतोष, राम विलास कसौधन, जगत प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

धूलभरी आंधी बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, किसान परेशान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। धूलभरी आंधी चलने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है। गुरुवार को सुबह साढ़े दस बजे तक आसमान में बादल छाए रहे। हर्रैया क्षेत्र में घने बादलों के साथ बूंदाबांदी हुई। महराजगंज व कप्तानगंज में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके चलते गेहूं की कटाई व मड़ाई में लगे किसानों की मुसीबत बढ़ गई। खेत में रखे गेहूं के बोझ को ढकने के साथ ही कटाई भी प्रभावित हो गई है। दूसरी तरफ गर्मी से लोगों को जरूर थोड़ी राहत मिल गई है। मौसम का मिजाज बुधवार/ गुरुवार की देर रात करीब एक बजे से बदलने लगा। अचानक तेज आंधी चलने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। छावनी क्षेत्र के रामगढ़ समेत अन्य गांवों में आंधी पानी से फसल को सुरक्षित करने की जुगत में स्थानीय किसान काटी गई फसल को ढकते नजर आए।

क्षेत्र के छावनी, सेवरालाला, रामगढ़, फत्तेपुर, डुहवा आदि गांवों में बारिश के कारण कटाई का कार्य प्रभावित हो गया है। दुबौलिया, वाल्टरगंज, सल्टौआ, रुधौली में भी तेज चमक गरज के साथ बूंदाबांदी हुई। गौर क्षेत्र में गरज चमक व तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के बीच विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। मौसम बदलने से न्यूनतम तापमान का पारा भी पांच अंक तक नीचे लुढ़क गया।

इस आंधी और भारी बारिश से जिन किसानों की गेहूं की फसल अभी कटी नहीं है, उनको फसल के नुकसान की चिंता सता रही है। फसल गिरने से पैदावार में काफी असर आ सकता है। वहीं झोंकेदार हवाओं से, गेहूं की फसल लेट जाएगी। किसानों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा।

बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है। साथ ही कटी हुई फसल भी बारिश से प्रभावित हो रही है। यह स्थिति किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। वे उदास है।

विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में याद किये गये डा. हैनिमैन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुएल हैनिमैन की जयंती गुरुवार को पटेल एस.एम.एच. हास्पिटल एण्ड आयुष पैरा मेडिकल कालेज गोटवा में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रबंधक डा. वी.के. वर्मा, डाक्टर और छात्रों ने सैमुएल हैनिमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन् किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में डा. वर्मा ने उपस्थित लोगों को सैमुएल हैनिमैन और होम्योपैथी औषधियों के कारगर प्रयोग की विस्तार से जानकारी दिया। कहा कि होम्योपैथी अब भारत सहित पूरी दुनियां में मरीजों के साथ ही असाध्य रोगों का भी कारगर उपचार कर रही है। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा। कहा कि हृदय रोग, पथरी, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोगों में होम्योपैथी कारगर सिद्ध हो रही है।

डा. वर्मा ने बताया कि सैमुएल हैनिमैन का जन्म 1755 में हुआ था। वह यूरोप देश के जर्मनी के निवासी थे वे एलोपैथी के चिकित्सक थे साथ में बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उनके पिताजी एक पेंटर थे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। स्कूली शिक्षा के बाद एक मेडिकल की तैयारी करने के लिए कॉलेज गए इनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा इनके कॉलेज के एक अध्यापक ने इनकी गरीबी को देखकर इनकी पढ़ाई में इनका सहयोग किया और पैसे की तंगी के बाद भी इनकी पढ़ाई लगातार चलती रही जब उन्होंने मेडिकल कंप्लीट किया तो इन्हें प्रेक्टिस करना था प्रेक्टिस करने के लिए ये गांव गांव में प्रेक्टिस करने लगे लेकिन प्रेक्टिस करने के दौरान उन्हें उस समय की चिकित्सा प्रणाली ठीक नहीं लगी क्योंकि उस समय आधुनिक तरह–तरह से चिकित्सा करने की प्रणालियों की कमी थी जिस वजह से उन्होंने अपनी प्रेक्टिस को बीच में ही छोड़ दिया और होम्योपैथी चिकित्सा का वरदान समूचे विश्व को दिया।

उपस्थित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुये डा. वर्मा ने बताया कि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और इसके द्वारा अनेक असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। सैमुएल हैनिमैन की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा. आलोक रंजन वर्मा, डा. मनोज मिश्र, डा. आर.एन. चौधरी, डा. अतुल कुमार श्रीवास्तव, डा. लालजी यादव, डा. आलोक वर्मा, डा. रीतेश चौधरी, डा. चन्दा सिंह, डा. इरफाना बानो, डा. अनीता वर्मा, डा. जुनेद, डा. सीएम पटेल, डा. राजेश चौधरी, विशाल, सतीश चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, शिवशंकर, मनीष वर्मा, ध्रुवचन्द्र, मनोज गुप्ता, सविता श्रीवास्तव, जग प्रसाद, उदयभान, सूरज, राजेश सिंह, शिवशंकर, उत्कर्ष दूबे, डा. रामस्वरूप, डा. सतीश, दीन बन्धु, गोल्डी, मनीषा, अतुल, सतीश, पूजा वर्मा, माया वर्मा, अभिषेक शुक्ल, दीपू चौधरी, अनुपम, अशोक, मनीष, विकास, राजन, शिवकुमार, जगदम्बा, शालू, फूलपती के साथ ही छात्र शामिल रहे।

–असाध्य रोगों के उपचार में होम्योपैथी कारगर– डा. वी.के. वर्मा

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

राज्यपालों की भूमिका

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर 'अवैध रूप से' बैठने के लिए दोषी ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्दी नहीं आया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार के खिलाफ एक प्रतिकूल भूमिका निभाई थी और केंद्र के इशारे पर स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार में लिप्त रहे थे। वे न केवल 3 साल से अधिक समय से विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर बैठे रहे बल्कि उन्होंने विधानसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को छोडने का अभूतपूर्व कदम भी उठाया जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और उन्हें इसे पूरा पढना था। एक और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्होंने राज्य गान बजाए जाने के मुद्दे पर राज्य विधानसभा से वॉकआऊट कर दिया। उनके कार्य असंवैधानिक थे और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन विधेयकों को पारित करने पर विचार करना पड़ा, जिन पर राज्यपाल लंबे समय से बैठे हुए थे।

राज्यपाल का पद एक गरिमापूर्ण पद है और इसे राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है जिसकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है। संविधान ने राज्यपालों को कुछ शक्तियां प्रदान की हैं लेकिन व्यापक सिद्धांत यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। गैर—भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों का प्रतिकूल रवैया लगातार जांच और आलोचना के दायरे में आ रहा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल आदि में गैर—भाजपा शासित सरकारों के खिलाफ राज्यपालों का अजीबो—गरीब पैटर्न देखने को मिल रहा है जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

प्रतिकूल राज्यपालों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों में से एक निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों पर चुप्पी साधना है। उन्हें या तो विधेयकों पर हस्ताक्षर करने चाहिएं या विधेयकों को अस्वीकार करके पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजना चाहिए या सलाह के लिए राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। यदि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उन्हें विधानसभा को वापस भेज दिया जाता है और अगर विधानसभा फिर से विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल के पास बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हालांकि, ये राज्यपाल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को दबाए बैठे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रवि की कार्रवाई में 'सच्चाई का अभाव है और यह एक अनुचित पॉकेट वीटो के बराबर है'। कुछ महीने पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से की गई देरी पर भी इसी तरह का संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल 'आग से खेल रहे हैं'। यह देखते हुए कि भारत 'स्थापित परंपराओं और परंपराओं' पर चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि वे पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध से नाखुश हैं। पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के बीच झगड़ा 3 धन विधेयकों से संबंधित था जिन्हें राज्य द्वारा विशेष बजट सत्र के दौरान पेश किया जाना प्रस्तावित था। सदन में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है जो वह नहीं दे रहे थे।

इसी तरह के एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी कर केरल सरकार की इस दलील पर जवाब मांगा था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित और उनकी सहमति के लिए भेजे गए 8 विधेयकों पर कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। खान ने मुख्यमंत्री से राज्य के वित्त मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कहकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया था क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के 'सुख का आनंद लेना बंद कर दिया था'! मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से उनकी सलाह को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और देश के वर्तमान उप—राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा पारित कई विधेयकों को रोक दिया था और अक्सर सरकार के लिए आलोचनात्मक संदर्भों वाले बयान दिए थे। विभिन्न कानूनों और नियमों के तहत, राज्यपाल सार्वजनिक स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों के औपचारिक कुलाधिपति होते हैं। उन्हें औपचारिक रूप से कुलपतियों की नियुक्ति करनी होती है और दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करनी होती है या औपचारिक अधिसूचनाओं को मंजूरी देनी होती है। हालांकि धनखड़ ने विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत नियुक्तियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और एम. महादेवन की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों ने एक स्वागत योग्य मिसाल कायम की है। पीठ ने विधानसभाओं से विधेयक प्राप्त करने के बाद राज्यपालों से जिस समय सीमा के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बारे में अस्पष्टता को संबोधित किया है। राज्यपालों को अपने पद की संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए जिससे विधानसभा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राज्यपालों को उनकी निर्धारित भूमिकाओं के भीतर कार्य करने की याद दिलाती है। अन्य राज्यपालों को यह सुनिश्चित करने के लिए इस फैसले पर ध्यान देना चाहिए कि वे अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत दौलतचक वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 18–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 19–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**सन्तराम**) ग्राम प्रधान (**वीरेन्द्र कुमार**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत नेवरीगाड़ा कुसरौत वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 20–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**स्मृति भूषण स्वामी**) ग्राम प्रधान (**ज्ञानेन्द्रधर द्विवेदी**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पूरापिरई वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 20–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**अरशद अली**) ग्राम प्रधान (**राजेन्द्र प्रसाद**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत सैफाबाद वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**विकास कुमार नागर**) ग्राम प्रधान (**विवेक कुमार**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कोड़र वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**पूजा गौतम**) ग्राम प्रधान (**वीरेन्द्र कुमार**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गौसपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(**अन्जू**) ग्राम प्रधान (**वीरेन्द्र कुमार**) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पोखरनी वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(प्रमिला देवी) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत हथिया प्रथम वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 24–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 25–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(माया देवी) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पकड़ी छब्बर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 18–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 19–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामफेर) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत नगहरा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(हृदयराम) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कुसौरी वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(महनाज खातून) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत अठदमा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(आकृति) ग्राम प्रधान **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

बे–मौसम बारिश में डूबी फसलें, किसानों के मेहनत की फसलें बर्बाद

संवाददाता–बहराइच। बेमौसम बारिश ने तराई के किसानों की खेतों में लगी फसलों को चौपट कर दिया है। तेज बारिश व आंधी के बीच खेतों में कटी फसलें उड़ गईं तो लगी फसलें जमींदोज होकर पानी में डूब गई हैं। आंधी के झोंकों में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। टीनशेड व फूस के घर उजड़ गए हैं। 20 फीसदी तक फसलों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले 24 घंटे तक आंधी व पानी के बने रहने के आसार मौसम विभाग जता रहा है। तराई में बुधवार को दोपहर नेपाल सीमा क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि के बाद देर रात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। गरज–चमक के बीच तेज आंधी संग जमकर बारिश हुई। रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार को दिनभर पूरी तराई में तेज हवाओं के बीच रुक–रुककर होती रही। आंधी में गेहूं,सरसों, मक्का व गन्ना की फसलें खेतों में ही पसर गईं। कटी फसलें पानी में डूब गईं तो 20 से 25 फीसद फसलें दूर तक बिखर गईं। सुबह किसान फसलों को पानी के बीच बाहन निकाल कर मेड़ पर एकत्र करते दिखे। तेज हवाओं की वजह से टीनशेड व फूस के घरों को भी पारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बीच तेज बारिश ने न केवल किसानों के अरमानों पर पानी फेरा है, बल्कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। 40 मिली मीटर बारिश रिकार्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉ सीताराम मिश्र ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ तराई के मैदानी इलाकों में सक्रिय है, लेकिन ओलावृष्टि व बारिश पुरवा व पछुआ हवाओं के बीच टकराव होने से हुई है। अगले 24 घंटे में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आंधी चलेगी, लेकिन बारिश कम होने की संभावना है।

मामा–मामी ने गला दबाकर की थी हत्या

संवाददाता–बहराइच। रामगांव इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के मामा और मामी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना 29 मार्च की है। भानु प्रसाद अपने मामा चेतराम के घर धर्मनपुर गया था। उसी दिन शाम को एक स्कूल के पास बाग में उसका शव मिला। मृतक के पिता कमलेश कुमार ने अपने साले पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जांच की। थाना प्रभारी हरेंद्र राय की टीम ने गंभीरवा बाजार से चेतराम और उसकी पत्नी सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने भानु को परिवार की एक सदस्या के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था।

इसके बाद मामा–मामी ने भानु का गला दबाकर हत्या कर दी। शव को कपड़े में लपेटकर बाग में फेंक दिया।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान द्वितीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–638/2000

बेचन
बनाम
बहाल

2/1 रामबृक्ष उम्र लगभग 40 साल 2/2 राम प्रसाद उर्फ सिजिल उम्र लगभग 38 साल पुत्रगण रामनिहाल साकिनान मौजा एचाकाट तप्पा दक्खिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर

तारीख पेशी 02–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 02 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 10 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–573/1994

गंगा प्रसाद
बनाम
गौरी आदि

1/1 दयाशंकर (मृतक) पुत्र गौरी 1/1/1 पूनम यादव 1/1/2 बीना यादव 1/1/3 अंजली यादव 1/1/4 सुधीर यादव पुत्र/पुत्रीगण दयाशंकर 1/1/5 सीता बेवा दयाशंकर 1/2 प्रभुनाथ 1/3 दूधनाथ 1/4 घनश्याम पुत्रगण गौरी साकिनान मौजा महरा देऊर तप्पा रूधौली परगना मगहर पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती 1/5 किसलावती पत्नी रामशंकर साकिन पड़रिया तप्पा उमरा परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती 1/6 इन्द्रावती पत्नी रामलखन साकिन तिवारीपुर तप्पा कुदारन परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 22–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 22 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 08 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 36/2025

लक्ष्मी मौर्या–सायलान

1. लक्ष्मी मौर्या उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी स्व0 राकेश कुमार 2. कनक मौर्या उम्र लगभग 7 वर्ष (नाबालिग) पुत्री स्व0 राकेश कुमार जरिये संरक्षिका लक्ष्मी मौर्या माता निवासीगण ग्राम रूधौली कला (निकट ब्लाक बखिरा रोड) पोस्ट रूद्रनगर रूधौली खुर्द तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला–बस्ती

तारीख पेशी 19–05–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925

दरख्वास्त मुसम्मा

वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती बतारीख पेशी 19–05–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा। अलमरकूम 10 माह 04 सन 2025 ई0।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दो वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 18–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 19–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कुन्दन सिंह) ग्राम प्रधान   **(ज्ञानेन्द्रधर द्विवेदी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत अगईभगाड़ वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 17–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 18–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(शकुन्तला) ग्राम प्रधान   **(ज्ञानेन्द्र द्विवेदी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कैथवलिया वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04 2025 से 13–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 14–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सन्तराम) ग्राम प्रधान   **(विवेक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन

संवाददाता–संतकबीरनगर। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर एक निजी मैरिज हाल में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने पार्टी के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति से आज पूरा विश्व भारत की बात ध्यान से सुनता है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद का यह बदलता हुआ भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज देश के सभी गरीब आमजनता जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, अगर 1000 दिल्ली से चलता है तो पूरे के पूरे पैसे उनके खाते में पहुंचता है। कहीं किसी बिचौलिए की हिम्मत नहीं है जो रोक ले। यह कांग्रेस के जमाने में होता था कि सौ रुपए चलता था तो सिर्फ,18 रुपए पहुंचता था लोगों तक।

आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत

संवाददाता–संतकबीरनगर। बेलहर ब्लाक क्षेत्र के मलौली गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक 19 वर्षीय युवती की मौत हो गयी। वह युवती अपने खेत में गेहूं का बोझ लाने के लिए गयी थी। वहां से आते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेलहर ब्लाक क्षेत्र के के ग्राम मलौली निवासी बाबू राम चौधरी की 19 वर्षीया बेटी आरती चौधरी के गेहूं के खेत की कटाई हुई थी। गेहूं के बोझ खेत में पड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी। युवती गेहूं के खेत से बोझ लाने के लिए गयी तभी अचानक बिजली कड़कने के दौरान वह भागी।

बारिश में वह आम के पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी। नतीजा यह हुआ कि युवती पूरी तरह से झुलस गई। युवती की मौके पर ही मौत हो गयी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

घटना की जानकारी पाकर मुकामी बखिरा थाने की पुलिस के साथ ही तहसील प्रशासन के लोगों के साथ सीओ सर्वदवन सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया है। परिवार के चार भाई और तीन बहनों में वह तीसरे स्थान पर थी। इस मामले में स्थानीय तहसील प्रशासन भी आवश्यक कार्रवाई में जुटा हुआ है। सर्वदवन सिंह सीओ, मेंहदावल ने कहा कि मलौली गांव की 19 वर्षीया आरती खेत से लौट रही थी, अचानक बिजली चमकी और वह घर की तरफ भागी। इस दौरान आम के पेड़ के पास वह गिर गयी। जिससे उसकी मौत हो गयी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे   ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल द्वारा लखनऊ मण्डल के अनेक स्टेशनों पर GMU (General Minor Unit) के संचलन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा आमंत्रित है। जिसके बंद होने की तिथि दिनांक 05-05-2025 समय 14:00 बजे एवं खुलने की तिथि दिनांक 05-05-2025 समय 15:00 बजे निर्धारित है। इस निविदा के अन्तर्गत मैनुअल ऑफर स्वीकार्य नही होगें। ई–निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी *www.ireps.gov.in* वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ध्यान दें कि धरोहर राशि का भुगतान केवल through IREPS, online payment mode से ही स्वीकार्य किया जायेगा जोकि *www.ireps.gov.in* की वेबसाइट पर उपलब्ध है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, जमा रसीदें, एफडीआर आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नहीं है। ई–निविदा सूचना सं., प्लेटफार्म सं., लोकेशन, स्टॉल सं., न्यूनतम लाइसेंस फीस, अर्नेस्ट मनी आदि का विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	निविदा सूचना क्रमांक	स्टेशन	लोकेशन	स्टॉल संख्या	ईकाई का प्रकार	प्रति वर्ष आरक्षित मूल्य	बयाना राशि
01	C-54-BNZ-GMU 07-04-2025	बादशाहनगर	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर ओएचई पोल 770/33 एवं 770/35 के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 07	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 96,000/-	₹ 59,000/-
02	C-54-ASH-GMU 10-04-2025	ऐशबाग	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर ओएचई पोल 1034 के निकट	GMU स्टॉल संख्या 10	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 99,800/-	₹ 61,300/-
03	C-54-ASH-GMU 13-04-2025	ऐशबाग	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर ओएचई पोल 1032 के निकट	GMU स्टॉल संख्या 13	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 99,800/-	₹ 61,300/-
04	C-54-KLD-GMU 05-04-2025	खलीलाबाद	प्लेटफार्म सं० 01 गोण्डा साईड अंतिम पीपी शेड पोल के निकट	GMU स्टॉल संख्या 05	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 2,48,000/-	₹ 1,52,200/-
05	C-54-KLD-GMU 09-04-2025	खलीलाबाद	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर ओएचई पोल 539/1024 के निकट	GMU स्टॉल संख्या 09	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 2,48,000/-	₹ 1,52,200/-
06	C-54-BST-GMU 01-04-2025	बस्ती	प्लेटफार्म सं० 01 पर किमी० 1011 एवं 1009 के मध्य आर०पी०एफ० पोस्ट के निकट	GMU स्टॉल संख्या 01	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,42,000/-	₹ 2,71,300/-
07	C-54-BST-GMU 05-04-2025	बस्ती	प्लेटफार्म सं० 01 पर किमी० 1007 एवं 568/13A के मध्य टिकट स्टॉक कक्ष के निकट	GMU स्टॉल संख्या 05	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,64,500/-	₹ 2,85,000/-
08	C-54-BST-GMU 09-04-2025	बस्ती	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर किमी० 568/13 एवं 1044 के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 09	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,62,300/-	₹ 2,83,700/-
09	C-54-BST-GMU 11-04-2025	बस्ती	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर किमी० 1072 एवं 568/21 के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 11	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,11,200/-	₹ 2,52,300/-
10	C-54-GD-GMU-06-04-2025	गोण्डा	प्लेटफार्म सं० 01 पर वॉटर हाइड्रेन्ट 11 एवं ओएचई पोल 657/17 के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 06	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,11,600/-	₹ 2,52,700/-
11	C-54-GD-GMU-11-04-2025	गोण्डा	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर गोरखपुर साईड वॉटर कूलर एवं डब्लूवीएम के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 11	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,11,600/-	₹ 2,52,600/-
12	C-54-GD-GMU-15-04-2025	गोण्डा	प्लेटफार्म सं० 04/05 पर बहराईच साईड 02 पिलर्स शेड के बीच डिस्प्ले बोर्ड नं० 19 के सामने	GMU स्टॉल संख्या 15	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,11,600/-	₹ 2,52,600/-
13	C-54-LJN-GMU-01-04-2025	लखनऊ	प्लेटफार्म सं० 01 पर पोल सं० 05 एवं पोल सं० 6 के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 01	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,23,400/-	₹ 2,59,800/-
14	C-54-LJN-GMU-10-04-2025	लखनऊ	प्लेटफार्म सं० 02/03 पर 1015A एवं 1017A के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 10	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,23,400/-	₹ 2,59,800/-
15	C-54-LJN-GMU-17-04-2025	लखनऊ	प्लेटफार्म सं० 06 पर 1020A एवं 1022A के मध्य	GMU स्टॉल संख्या 17	कैटरिंग स्टॉल (आकार 8'x6'x9'	₹ 4,23,400/-	₹ 2,59,800/-

♦ क्रम सं. -01 से क्रम सं. -15 तक के लिये निर्धारित श्रेणीः सामान्य, ♦ क्रम सं. -01 से क्रम सं. -15 तक के लिये निविदा फार्म राशिः ₹ 2,950/- (जीएसटी सम्मिलित), ♦ निविदा बंद होने की तिथि और समयः 05-05-2025 (सोमवार) को 14:00 बजे तक। ♦ निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 05-05-2025 (सोमवार) को 15:00 बजे तक। ♦ अनुबंध की अवधिः 05 (पांच) वर्ष।

मुजाधि/वाणिज्य-13   सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

कार्यालय नगर पंचायत गायघाट–बस्ती ।

निविदा आमंत्रण सूचना

(ई-प्रोक्यूरमेंट सूचना)

एतदद्वारा सर्वसाधारण तथा समस्त सम्बन्धित ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि अनु सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ के शासनादेश संख्या–706/नौ–6–2025–ई–1905309 दिनांक 21 मार्च 2025, द्वारा नगर पंचायत गायघाट में वित्तीय वर्ष 2024–25 में (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के अन्तर्गत कार्य कराये जाने है। जिसके लिये आनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। बेवसाइट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा डालने की तिथि, समय, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्तो का उल्लेख है।

ई–निविदाये (टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल) निम्नलिखित विवरण के अनुसार वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत गायघाट बस्ती से कार्यालय समय एवं दिवस पर की जा सकती है।

क्रमांक	वेबसाईट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	तिथि	समय
1	ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	21.04.2025	12:00 बजे
2	ई–निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	21.04.2025	12:00 बजे
3	ई–निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	01.05.2025	12:00 बजे
4	ई–निविदा खोले जाने की तिथि/समय	01.05.2025	04:00 बजे

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गायघाट, बस्ती

अध्यक्ष
नगर पंचायत गायघाट, बस्ती

पत्राक. 103/न0प0गा0/2025–26   दिनांक 09.04.2025

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–30/2024
सभाजीत
बनाम
श्री प्रकाश दूबे आदि

1. श्री प्रकाश दूबे पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम कुसमैनी तप्पा रामपुर पैली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीर नगर –प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2. राम स्वारथ 3. सत्यजीत 4. रामजीत पुत्रगण झिनकू साकिनान ग्राम किठिउरी तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती –प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 13–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–877/2024
बद्री प्रसाद
बनाम
सोनू गुप्ता

1. सोनू गुप्ता पुत्र स्वामीनाथ गुप्ता साकिन मदनपुरा तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 23–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 09 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान अष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–346/1997
रामताजी
बनाम
सिंगारे आदि

6/1 राजू पुत्र ज्यूरखन ग्राम अशरफपुर तप्पा सेमरा परगना महुली पूरव तहसील धनघटा जिला संतकबीर नगर 6/2 सुरमिला पुत्री ज्यूरखन पत्नी राजमन ग्राम शंकरपुर तप्पा शिवबखरी परगना महुली पश्चिम तहसील धनघटा जिला संतकबीर नगर 5/1 विक्रम पुत्र फूलबदन 5/2 श्रीमती देवराजी पत्नी फूलबदन निवासीगण ग्राम अशरफपुर तप्पा सेमरा परगना महुली पूरव तहसील धनघटा जिला संतकबीर नगर

तारीख पेशी 01–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 01 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान अष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–81/1997
भगवती आदि
बनाम
दयाराम आदि

4/1 पंचराम 4/2 राजेन्द्र पुत्रगण कोलाहल 4/3 कुशलावती देवी विधवा सोविन पुत्री कोलाहल 4/4 आनन्द 4/5 विजयानन्द पुत्रगण सोविन 4/6/1 राजू 4/6/2 राजेश पुत्रगण राधेश्याम 4/6/3 संगीता पुत्री राधेश्याम साकिनान मौजा मुजहनी मुजहना तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर

तारीख पेशी 02–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 02 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल **bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com